



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032021-225607
CG-DL-E-03032021-225607

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 935]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 2021/फाल्गुन 12, 1942

No. 935]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 2021/PHALGUNA 12, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2021

का.आ. 1014(अ).—केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 54 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निर्माताओं को, उक्त नियमों के नियम 55 में विहित प्रक्रिया को अपनाते हुए उक्त नियमों के साथ संलग्न फार्म संख्या 4 क में जारी आयात प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी शर्तों के अध्वधीन निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाली मारफिन, कोडीन, थिबेम और उनके लवणों के आयात की अनुमति है, अर्थात्:-

तालिका

क्र.सं.	निर्माताओं का नाम और पता
(1)	(2)
1.	मेसर्स मेडले फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, 26/71, सौग बोग, मरोल को-ओप इंडस्ट्रियल इस्टेट, ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (ई), मुंबई -400059।
2.	मेसर्स अल्फाएम्ड फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड, सर्वे नं 225, साम्पनबोले विलेज, शमीरपेट मंडल, मेडचल-मलकजगिरी जिला, तेलंगाना-500101।
3.	मेसर्स माइक्रो ऑर्गो केम, 57, सी 1-बी, एलआईसी सेक्टर, जी.आई.डी.सी, वापी -396195, गुजरात।

2. यह अधिसूचना, इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी और 31.12.2022 तक लागू रहेगी।
[फा. सं. एन/11012/01/2013-एनसी-II]
दिनेश बौद्ध, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2021

S.O. 1014(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to rule 54 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies that the manufacturers mentioned in the Table below are permitted to import morphine, codeine, thebaine and their salts for use in manufacture of products to be exported, after following the procedure specified in rule 55 of the said rules and subject to such conditions as may be specified in the import certificate issued in Form No. 4A annexed to the aforesaid rules, namely:-

TABLE

Sl. No.	Name and address of manufacturers
(1)	(2)
1.	M/s Medley Pharmaceuticals Limited, 26/71 , Saug Baug, Marol Co-Op Industrial Estate, Off Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai-400059.
2.	M/s Alphamed Formulations Private Limited, Survey No 225, Sampanbole Village, Shamirpet Mandal, Medchal-Malkajgiri Dist., Telangana-500101.
3.	M/s Micro Orgo Chem, 57, C1-B, LIC Sector, G.I.D.C, Vapi-396195, Gujarat.

2. This notification shall remain in force from the date of its publication in the Official Gazette till the 31st day of December, 2022.

[F. No. N/11012/01/2013-NC-II]

DINESH BOUDDH, Director